



उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन लिमिटेड

(उत्तर प्रदेश सरकार का उपक्रम)

शक्ति भवन, 14-अशोक मार्ग, लखनऊ

CIN: U32201UP1999SGC024928

संख्या 551 - विनियम एवं का0वि0नी0/पाकालि/2020-3-विनियम/17

दिनांक : 01/09/2020

कार्यालय ज्ञाप

कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा-179 तथा निगम के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के आर्टिकल-47, 48 एवं अन्य विधिक प्राविधानों के अन्तर्गत प्राप्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 के निदेशक मण्डल की दिनांक 14/08/2020 को सम्पन्न 159(39)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के अनुपालन में एतद्वारा उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 में अवर अभियन्ता (जानपद) के पद पर संयुक्त वरिष्ठता के आधार पर चयन के माध्यम से प्रोन्नति करते हुए भर्ती किये जाने हेतु 'उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अवर अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 2017' के भाग-3 (भर्ती) के विनियम-5 (भर्ती के स्रोत) विनियम-6 (पदों का आरक्षण) भाग-6 (प्रोन्नति के माध्यम से भर्ती हेतु प्रक्रिया) के विनियम-16 एवं विनियम-17 (प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया) तथा विनियम-9(i) के अन्तर्गत संलग्न परिशिष्ट-ए तथा विनियम-19 का उपविनियम-2(C) में संलग्न परिशिष्ट-ब को निम्नानुसार तालिका के स्तम्भ-02 में वर्णित प्राविधानानुसार संशोधित (प्रथम संशोधन) किया जाता है :-

“उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अवर अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 2017 (प्रथम संशोधन)”

वर्तमान में प्रचलित व्यवस्था	संशोधित व्यवस्था
1	2
5. Sources of recruitment – Recruitment to the cadres of the Service shall be made as follows: (a) Junior Engineer (Trainee) : (i) By direct recruitment from Junior Engineer (Trainee) selected with the procedure laid down in part V of these Regulations. (ii) By promotion in accordance with the procedure laid down in regulations of Part-VI.	5. Sources of recruitment – Recruitment to the cadres of the Service shall be made as follows: (a) By Direct Recruitment: - By direct recruitment from Junior Engineer (Trainee) selected with the procedure laid down in Part-V of these Regulations. - 75% (b) By Recruitment through promotion: (i) By recruitment through promotion in accordance with the procedure laid down in regulation-16(B) of Part-VI. - 16.67 % (ii) By recruitment through promotion in accordance with the procedure laid down in regulation-16(C) of Part-VI. - 8.33 %
6. Reservation of Posts- (1) 40% of the vacancies in the Junior Engineer (Trainee) shall be reserved for such of those to be appointed by promotion who satisfy the requirement of these Regulations.	6. Reservation : Reservation in direct recruitment shall be made in accordance with the orders of the State Government in force for such reservation at the time of recruitment and adopted by UPPCL.

F:\Kavini All\Kavini files\Vinlyam\3-Vinlyam & Kavini-17\Letter.doc Confidential Time - 2:00:13 PM

(क्रमशः . . . 2)

<p>(2) Reservation in direct recruitment shall be made in accordance with the orders of the State Government in force for such reservation at the time of recruitment.</p> <p>Provided that total number of reserved vacancies together with the carried forward vacancies, shall not exceed 45% of the vacancies of that year.</p>	
<p>16. Selection for appointment to the Junior Engineer (Trainee) by promotion-</p> <p>(2) For purpose of recruitment to the post of Junior Engineer (Trainee) under regulation 5(a) (i) a selection based on merit shall be made from the following:</p> <p>(b) Members of Technical grade (2) who have, put in 10 years or more of continuous service including service rendered on work-charges establishment, if they have passed any of the examinations mentioned in Appendix 'A' or 4 years or more of service, if they have passed I.T.I Examination or 5 years or more of service, if they have passed high School Examination or 10 years or more of service, if they have not passed High School Examination.</p> <p>(2) The selection shall be based on a written test.</p> <p>(3) The names of the candidates who qualify in the written test shall be placed in a list in their order of merit. The merit should be based on the marks obtained in the written test.</p> <p>(4) The number of names in the list drawn up under clause (3) shall not exceed the number of vacancies announced at the time of the announcement of the examination by more than 25%.</p> <p>(5) The syllabus for the written test shall be laid down by the Electricity Service Commission time to time.</p> <p>(6) The Electricity Service Commission will supervise the recruitment process.</p> <p>(7) The Electricity Service Commission shall have the power to remove the name of any candidate from the list drawn up under clause (3) if his work or conduct at any time subsequent to the holding of the tests is reported to be such as to render him unfit for promotion.</p>	<p>16. Selection for recruitment to the post of Junior Engineer by promotion:-</p> <p>(1) For purpose of Recruitment to the post of Junior Engineer under Regulation 5(b), a selection based on Seniority cum merit shall be made among the following:-</p> <p>(a) The Employee must be regular on the post of Technician (formerly known as TG-II)</p> <p>(b) Employees not having Diploma/ Degree Certificate as per Appendix 'A', must have put in, at least 10 years of regular service on the post of Technician (formerly known as TG-II) on 1st July of the recruitment year under 16.67 % quota.</p> <p>(c) Employees having Diploma/ Degree Certificate as per Appendix 'A' and has put in, at least 5 years of regular service on the post of Technician (formerly known as TG-II) will be considered for promotion under 8.33 % quota.</p> <p>(d) List of employees to be considered for promotion shall be prepared from the combined seniority list of Technician (formerly TG-2) on the basis of seniority, which shall be known as 'zone of consideration'. The list will not be greater than 1.5 times the vacancy.</p> <p>(e) The method of selection process shall be decided by the Corporation from time to time.</p> <p>(f) The employee against whom any disciplinary proceeding is in progress shall be considered for promotion conditionally. The final selection shall be considered only after finalisation of the disciplinary proceeding. The matter shall be considered on case to case basis, by the Departmental Promotion Committee.</p> <p>(2) Appointment of the candidate of any subsequent selection, shall be made only after all the candidates of an earlier selection whose names have been included in the list drawn up earlier, had exhausted.</p>

	Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to make eligible for promotion a candidate whose name has been removed from the list under regulation 15.
<p>17. Appointment to the Junior Engineer (Trainee) by promotion –</p> <p>(3) Appointment to the Junior Engineer (Trainee) by promotion shall be made from the list drawn up under regulation 16(3) in strict order of merit.</p> <p>(4) Appointment of the candidate of any subsequent selection shall be made only after all the candidates of an earlier selection whose names have been included in the list drawn up under regulation 16(3) have been promoted.</p> <p>Provided that nothing in this sub-regulation shall be deemed to make eligible for promotion a candidate whose name has been removed from the list under clause 16(7).</p>	-Removed-
<p align="center"><u>APPENDIX-A</u> (See Regulation 9)</p> <p>A candidate for the recruitment as Apprentice Junior Engineer (Civil) must have Passed the :</p> <p>(1) Three years Diploma in Civil Engineering awarded by Pravidhik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh Or a Diploma Equivalent there to be recognized by the State Government.</p> <p>Note: Diploma received through Distance Learning Education will not be eligible.</p>	<p align="center"><u>APPENDIX-A</u> (See Regulation 9)</p> <p>A candidate for the recruitment as Apprentice Junior Engineer (Civil) must have Passed the :</p> <p>(1) Three years Diploma in Civil Engineering awarded by Pravidhik Shiksha Parishad, Uttar Pradesh Or a Diploma Equivalent there to and recognized by the State Government or from any other Institution incorporated by an Act of the Central/State Legislature.</p> <p align="center">OR</p> <p>Three years All India Diploma Examination in Civil Engineering conducted by All India Council for Technical Education (AICTE), Govt. of India.</p> <p align="center">OR</p> <p>(2) 4 year Degree in Civil Engineering awarded by the State/Central University or institution established by law in Uttar Pradesh or from any other Institution incorporated by an Act of the Central/State Legislature.</p> <p>Note: Diploma/Degree received through Distance Learning Education will not be eligible.</p>

(क्रमशः . . . 4)

APPENDIX 'B' (See Sub-regulation 2 (c) of Regulation 19) FORM OF DECLARATION	APPENDIX 'B' (See Sub-regulation 2 (c) of Regulation 19) FORM OF PROPERTY DECLARATION (as Order no. 1268-स0प्र0-11/पाकालि/17-16-एस0ए0/11 दिनांक 22.04.2017, (संलग्नक-क))
--	---

2. अवर अभियन्ता (जानपद) के पद पर, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 एवं विभिन्न डिस्कॉमों में आमेलित हो चुके तकनीशियनों की "संयुक्त वरिष्ठता सूची" के आधार पर विभागीय प्रोन्नति हेतु चयन प्रक्रिया एवं मापदण्ड कारपोरेशन द्वारा निर्धारित किया जायेगा।

3. उपरोक्तानुसार कारपोरेशन आदेश सं0 50-विनियम एवं काविनी/पाकालि/2018-3-विनियम/2017 दिनांक 25.01.2018 के माध्यम से निर्गत 'उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 अवर अभियन्ता (जानपद) सेवा विनियमावली, 2017' उक्त सीमा तक संशोधित मानी जायेगी एवं अन्य समस्त प्राविधान यथावत् रहेंगे।

निदेशक मण्डल की आज्ञा से,

सं0 551-(1)-विनियम एवं का0वि0नी0-29/पाकालि/2020 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 2- प्रबन्ध निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ के निजी सचिव।
- 3- अध्यक्ष, उ0प्र0 राज्य विद्युत उत्पादन निगम लि0/उ0प्र0 जल विद्युत निगम लि0।
- 4- अध्यक्ष, उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन कारपोरेशन लि0, लखनऊ के प्रमुख निजी सचिव।
- 5- प्रबन्ध निदेशक, केस्को, कानपुर/पूर्वांचल विद्युत वितरण निगम लि0, वाराणसी/पश्चिमांचल विद्युत वितरण निगम लि0, मेरठ/मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लि0, लखनऊ/दक्षिणांचल विद्युत वितरण निगम लि0, आगरा।
- 6- समस्त निदेशक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 7- मुख्य अभियन्ता (जल विद्युत), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 8- अध्यक्ष, विद्युत सेवा आयोग, एसएलडीसी परिसर, निकट मंत्री आवास, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
- 9- समस्त मुख्य अभियन्ता (स्तर-1 एवं स्तर-2), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 10- समस्त मुख्य महाप्रबन्धक/महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 11- महा प्रबन्धक (लेखा प्रशासन), उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ।
- 12- समस्त अधीक्षण अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 13- समस्त अधिशासी अभियन्ता, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0/उ0प्र0 पावर ट्रांसमिशन पावर कारपोरेशन लि0।
- 14- समस्त उपमुख्य लेखाधिकारी/क्षेत्रीय लेखाधिकारी, उ0प्र0 पा0का0लि0/उ0प्र0 पा0ट्रां0का0 लि0।
- 15- समस्त अधिकारी, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 मुख्यालय, शक्ति भवन/शक्ति भवन विस्तार, लखनऊ।
- 16- कम्पनी सचिव, उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0, शक्ति भवन, लखनऊ को निदेशक मण्डल की दिनांक 14.08.2020 को सम्पन्न 159(39)वीं बैठक में लिये गये निर्णय के कार्यवृत्त के अनुपालन में।
- 17- अधिशासी अभियन्ता (वेब), कक्ष सं0 407, शक्ति भवन, लखनऊ को उ0प्र0 पावर कारपोरेशन लि0 की वेबसाइट, www.uppcl.org पर अपलोड करने हेतु।

आज्ञा से

(राकेश भट्ट)

अनु सचिव (का0वि0नी0 एवं विनियम)

परिशिष्ट "क"

चल/अचल सम्पत्ति सम्बन्धी घोषणा पत्र

(क) उनके लिए जिनके पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मेरे पास कोई अचल सम्पत्ति नहीं है। यदि मैं एतद् पश्चात् कोई अचल सम्पत्ति धारण करता/करती हूँ तो अपनी तत्सम्बन्धित अवधि की घोषणा में करूँगा/करूँगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद *

दिनांक

(ख) उनके लिए जिनके पास अचल सम्पत्ति है।

मैं एतद्वारा घोषणा करता/करती हूँ कि मैं निम्न प्रकार की अचल सम्पत्ति का स्वामी/की स्वामिनी

हूँ।

भूमि सम्पदा

सम्पत्ति जहाँ है।			क्षेत्र एकड़ में	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उसके अर्जन का दिनांक	वार्षिक राजस्व	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
जनपद	तहसील	ग्राम					
1	2	3	4	5	6	7	8

गृह सम्पदा

गृह जहाँ स्थित है।			गृह संख्या	अर्जित या पैतृक यदि अर्जित की गई है तो उनके अर्जन का दिनांक	क्या स्वयं रहने के लिए प्रयोग कर रहे हैं या किराये पर दिया है ?	वार्षिक किराया	अनुमानित मूल्य	टिप्पणी
क्र० सं०	ग्राम नगर उप नगर	जनपद						
1	2	3	4	5	6	7	8	9

यदि मैं भविष्य में कोई अन्य अचल सम्पत्ति अर्जित करता/करती हूँ तो इस तथ्य को उपर्युक्त प्रपत्र में सम्पत्ति अर्जित के दिनांक को जानकारी पाने के दिनांक से एक मास के भीतर घोषित कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद *

दिनांक

टिप्पणी:-अचल सम्पत्ति में ऐसा भवन व भूमि सम्पदा जो बंधक व पट्टे के रूप में अधिकारी/कर्मचारी या उसकी पत्नी/उसके पति या उसकी ओर से उसके कुटुम्ब का कोई सदस्य जो उसके साथ संयुक्त हो या साथ रहता हो या किसी प्रकार उस पर अभिहित हो, द्वारा धारित या प्रतिबन्धित हो तो इस घोषणा के प्रयोजनार्थ अधिकारी द्वारा ही धारित या प्रतिबन्धित की गई समझी जाएगी।

(ग) उनके लिए जिनके पास कोई हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) नहीं है।

मैं एतद्वारा घोषण करता/करती हूँ कि मैं किसी हिस्से (Shares) या जमा पूंजी (Investment) का स्वामी/की स्वामिनी नहीं है। यदि एतदपश्चात् मैं कोई हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या जमा पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित अधि की घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।

हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद *

दिनांक

(घ) उनके लिए जो हिस्से (Shares) के स्वामी/स्वामिनी है या किसी अन्य जमा पूंजी (Investment) है।

मैं एतद्वारा घोषित करता/करती हूँ कि मैं निम्नलिखित हिस्से व जमा पूंजी रखता/रखती हूँ :-

हिस्से (Shares)

क्र० सं०	विवरण	अर्जित करने का दिनांक	प्रत्येक हिस्से का मूल्य	धारित हिस्सों की संख्या	हिस्सों का मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5	6	7

  

जमा पूंजी (Investment)

क्र०सं०	विवरण	पूंजी लगाने की तिथि	मूल्य	टिप्पणी
1	2	3	4	5

यदि मैं आगे और हिस्से अर्जित करूंगा/करूंगी या अन्य कहीं पूंजी लगाऊंगा/लगाऊंगी तो मैं इस तथ्य की घोषणा सम्बन्धित घोषणा में कर दूंगा/दूंगी।





हस्ताक्षर

पूरा नाम

पद

दिनांक